

State Institute of Health & Family Welfare
Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

F-91(23)/SIHFW/Proc. - B/2022-23 | 3359

Date : 27/07/2023

विषय :- संस्थान में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे मय सामग्री लगवाये जाने हेतु दरें चाहने बाबत सीमित निविदा प्रपत्र।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर एक स्वायत्तशासी संस्था है। संस्थान में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे मय सामग्री लगवाये जाने का कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 150,000-1,60,000/- होगी। उक्त कार्य किये जाने हेतु कार्य का अवलोकन कर अग्रलिखित विवरण अनुसार दरें निम्नानुसार प्रस्तुत करें :-

क्र. सं.	सामग्री/कार्य का विवरण	मेक	वारन्टी/ गारन्टी	अनुमानित मात्रा	कुल राशि (जीएसटी सहित)
1	IP Dome 5MP Colour with Audio			15	
2	IP Bullet 5MP Colour with Audio			10	
3	NVR 32 Channel. (2 HDD support)			1	
4	HDD 4TB			2	
5	POE Switch 8 Port. UP link Giga			5	
6	CCTV camera box (Junction Box)			25	
7	RJ 45 Connector			100	
8	6 U Rack			1	
9	2 U Box Rack			5	
10	CAT 6 305 Mtr.			4	
11	CAT 6 305 Mtr. (Armoured)			1	
12	Fitting Items (Conduite Pipes, GI Wire for outside fitting, Tape, Shadels etc.)				
13	Installation Charges				

उक्त कार्य हेतु दर प्रति कार्य, सामग्री विवरण सहित, अन्य खर्चों व करों के साथ दिनांक 02/08/2023 को दोपहर 2.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में प्रस्तुत करें। सीमित निविदा हेतु प्राप्त लिफाफों को दिनांक 02/08/2023 को दोपहर 03.00 बजे उपापन समिति के समक्ष खोला जावेगा।

नियम एवं शर्तें :-

1. फर्म का PAN एवं GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
2. बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त सम्पूर्ण कार्य किये जाने हेतु संस्थान परिसर का अवलोकन कार्यालय समय (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक) में किया जा सकता है।
3. कोटेशन के साथ कार्य की वारंटी के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. उक्त सामग्री संस्थान में पहुंचाने एवं इंस्टोलेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. पार्ट्स/सामग्री उच्च गुणवत्ता (ISI Mark) के लगाया जाना एवं पुराने/खराब पार्ट्स यदि कोई हो तो संस्थान की स्टोर शाखा में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
6. भुगतान हेतु प्रस्तुत राशि में से नियमानुसार TDS की कटौती की जावेगी।
7. विलो का भुगतान सामग्री व कार्य के सन्तोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही किया जाएगा।
8. कार्यदिश दिये जाने के 10 दिवस में कार्य पूर्ण करना होगा।
9. कोटेशन उपर दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक